

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापक-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आवं-24-21/11-

(8)/रा0, पटना-15; दि0- / /2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय - मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मॉग सं0-40, विपत्र कोड-एन 2029008000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू0 18,54,544/- (अठारह लाख चौवन हजार पाँच सौ चौआलीस) मात्र का व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गया जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर कुल रू0 18,54,544/- (अठारह लाख चौवन हजार पाँच सौ चौआलीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	जिला का नाम	अधियाचना सं0 एवं तिथि	जिला द्वारा अधियाचित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	गया	771/स, दि0-21.03.2017	2553728.00	1854544.00
कुल योग:-				1854544.00

(अठारह लाख चौवन हजार पाँच सौ चौआलीस) मात्र।

- अधियाचित राशि के 50 पैसे से कम/ अधिक राशि को एक रूपये के पूर्णांक में परिगणित कर तदनु रूप स्वीकृत राशि अंकित की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायगा।
- उक्त राशि मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मॉग सं0-40, विपत्र कोड एन 2029008000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगी।
- उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिले के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के जिला फोषागार से होगा।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561(पी0)(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा।
- राशि का भुगतान बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धितों को भुगतान किया जायगा।


कृ०पृ०३०

8. राशि की निकासी BTC-42 में की जाएगी तथा व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर विहित प्रपत्र BTC-42A में निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
9. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

FAX
e-mail ज्ञापक:-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आवं-24-21/11- 269 (8)/स10, पटना-15, दि0- 28 / 03 / 2017
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार, पटना/समाहर्ता, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रशाखा-05(बजट शाखा)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।